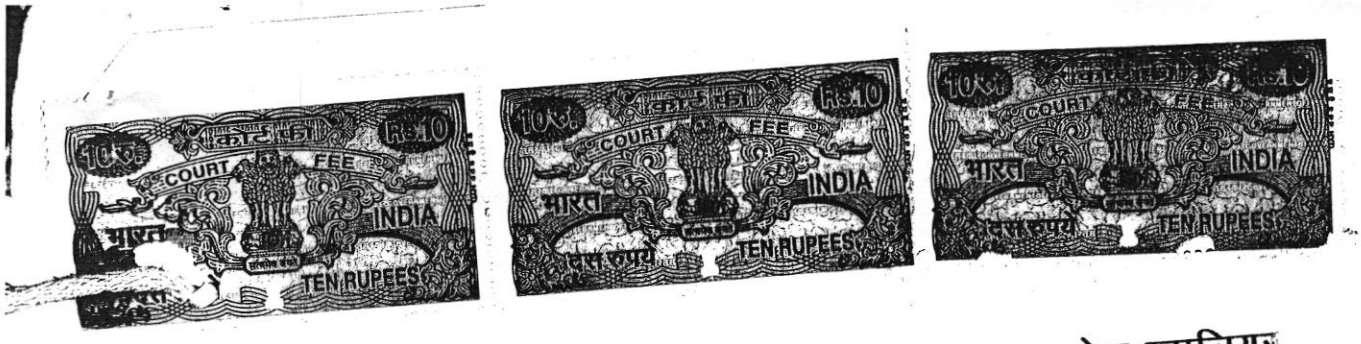

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 1748—एक / 2010

Reg 233-I-17

1— श्री मंशाराम

2— रमेश

3— सुरेश प्रसाद

4— उमेश कुमार

सभी के पिता लालचंद गौली

सभी निवासी छीतापार तहसील व

जिला सिवनी म.प्र. — **आवेदकगण / प्रतिअपीलार्थी क्रं. 1 से 4**

विरूद्ध

1— छतरसिंह पिता दर्शनलाल दहात

निवासी ग्राम छीतापार तहसील व

जिला सिवनी म.प्र. — **अनावेदक / अपीलार्थी**

— **अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी कं.5**

2— म.प्र.शासन

धारा 51 म.प्र. भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र

आवेदकगण / प्रति अपीलार्थी कं. 1 से 4 प्रकरण क्रमांक अपील 1748—एक / 2010 अपीलार्थी छतर सिंह विरूद्ध श्री मंशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 6—1—2017 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के विरूद्ध प्रस्तुत करते हैं :—

1— यह कि अनावेदक कं. 1 / अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील 1748—एक / 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 26—8—2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक — / प्रतिअपीलार्थी कं. 1 से 4 के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सिवनी

प्रकरण कमांक – रिव्यू 233–एक/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्र0कं0 निग0 1748–एक/2010 में पारित आदेश दिनांक 6–1–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के प्रस्तुत किया गया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । पुनरावलोकन आवेदन में एक मात्र आधार यह दिया गया है कि उन्हें बिना सुने आदेश पारित किया गया है । उक्त तर्क रिकार्ड पर आधारित नहीं है क्योंकि मूल निगरानी प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 15–11–16 को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिये जाने के उपरांत भी उनके उपस्थित न होने के कारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया है तथा दिनांक 6–1–17 को आदेश पारित किया गया है । आलोच्य आदेश को देखने से यह भी पाया जाता है कि तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ। 3/ उपरोक्त विश्लेशण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो। प्रशा0 सदस्य	